**OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR**

**Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)**

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

**E-mail: hegtdcano@mp.gov.in** ☎9893076404

# Anti Raging Policy

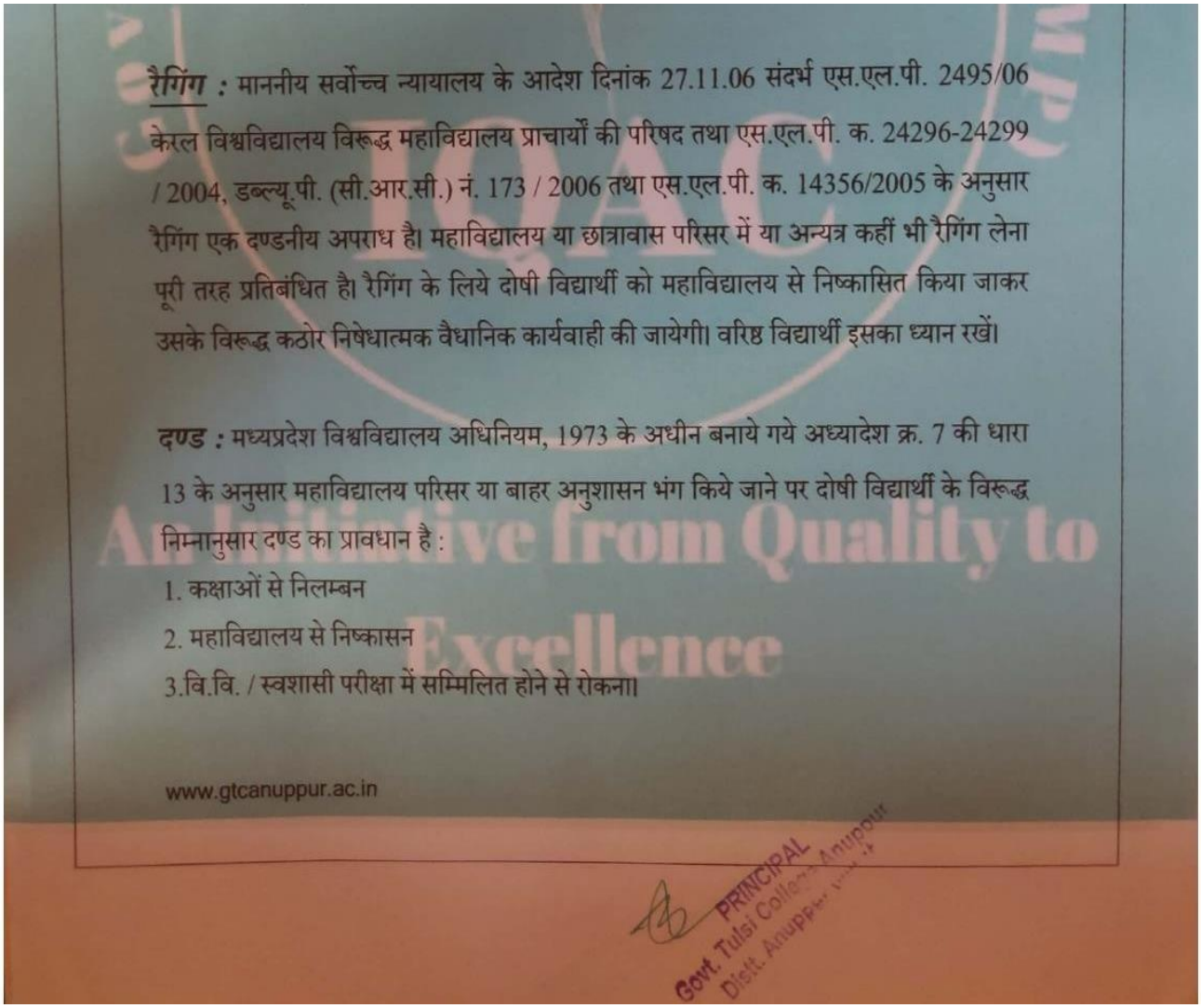

**रैगिंग :** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी. क. 24296-24299 / 2004, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) नं. 173 / 2006 तथा एस.एल.पी. क. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

**दण्ड :** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरूद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है :

1. कक्षाओं से निलम्बन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. वि.वि. / स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।

www.gtcanuppur.ac.in

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur

**OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR**

**Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)**

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

**E-mail: hegtdcano@mp.gov.in** ☎9893076404

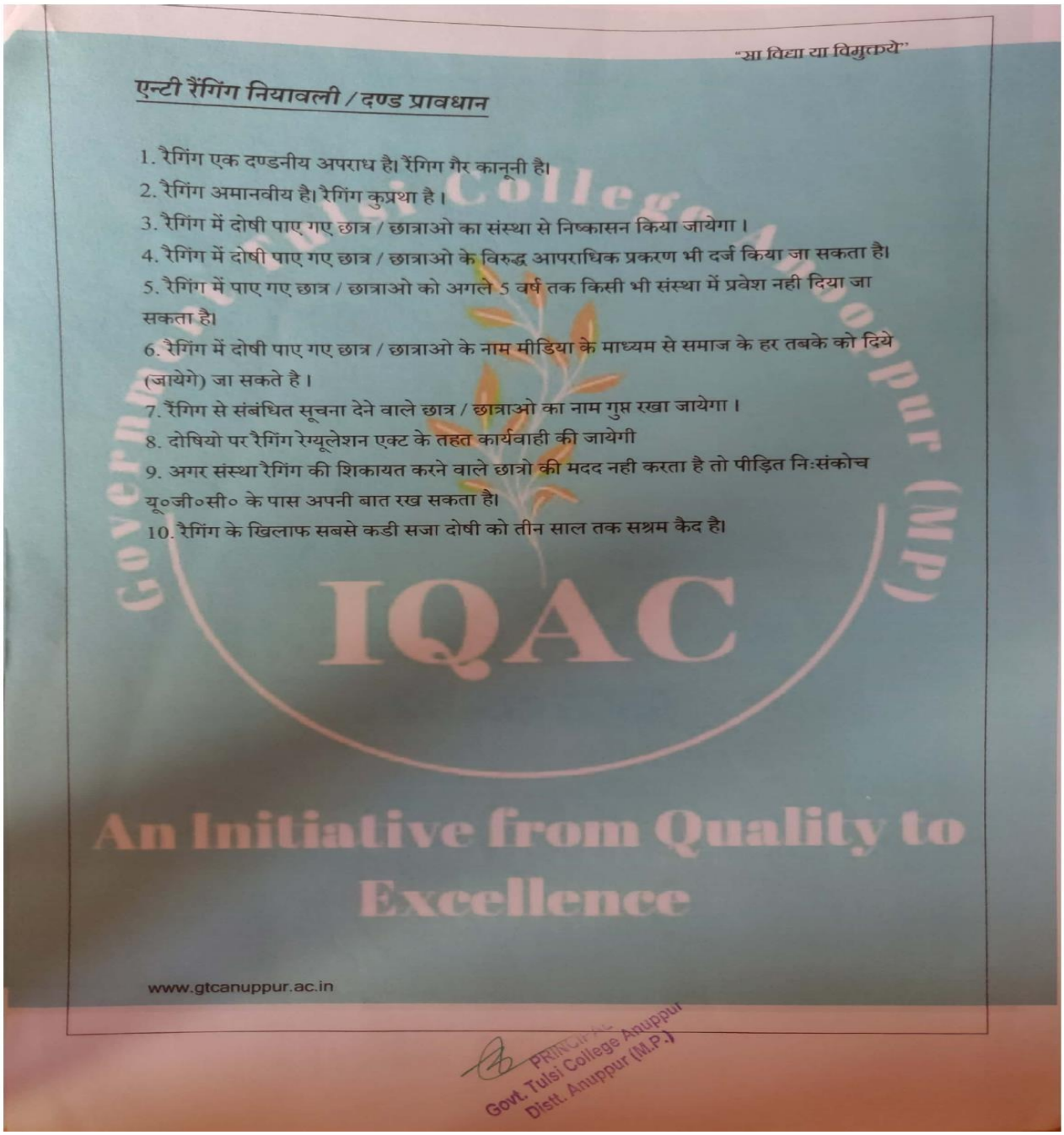

"सा विद्या या विमुक्तये"

**एन्टी रैंगिंग नियावली / दण्ड प्रावधान**

1. रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। रैंगिग गैर कानूनी है।
2. रैगिंग अमानवीय है। रैगिंग कुप्रथा है।
3. रैगिंग में दोषी पाए गए छात्र / छात्राओ का संस्था से निष्कासन किया जायेगा।
4. रैगिंग में दोषी पाए गए छात्र / छात्राओ के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है।
5. रैगिंग में पाए गए छात्र / छात्राओ को अगले 5 वर्ष तक किसी भी संस्था में प्रवेश नही दिया जा सकता है।
6. रैगिंग में दोषी पाए गए छात्र / छात्राओ के नाम मीडिया के माध्यम से समाज के हर तबके को दिये (जायेगे) जा सकते है।
7. रैगिंग से संबंधित सूचना देने वाले छात्र / छात्राओ का नाम गुप्त रखा जायेगा।
8. दोषियो पर रैगिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी
9. अगर संस्था रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रो की मदद नही करता है तो पीड़ित निःसंकोच यू०जी०सी० के पास अपनी बात रख सकता है।
10. रैगिंग के खिलाफ सबसे कडी सजा दोषी को तीन साल तक सश्रम कैद है।

Government Tulsi College Anuppur (M.P.)
IQAC
An Initiative from Quality to Excellence

www.gtcanuppur.ac.in

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)